संख्या- 52/2015/182/22-4-15-48(40)/12

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-24 फरवरी, 2015

विषय-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी एवं जिला कारागार, शाहजहॉपुर में दिन शौचालयों के निर्माण हेतु निर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3532/नम-3/वैल्यूम-।।/दिन शौचा0/पु0आ0/2014-15, दिनांक- 4 फरवरी, 2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-22/2015/1618/22-4-14-48(40)/12, दिनांक 29. जनवरी, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय कारागार, वाराणसी एवं जिला कारागार, शाहजहॉपुर में दिन शौचालयों के निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 29.01.2015 द्वारा निर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार अन्तर की धनराशि रू0 12,56,000/- (रूपया बारह लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	कार्यों के नाम	ब्लाकों की संख्या (01 ब्लाक में 08 दिन शौचालय)	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	मूल स्वीकृत लागत	अन्तर की धनराशि
1	2	3	5	4	6
1	के0का0, वाराण्सी में दिन शौचालयों का निर्माण	07	42.77	36.12	6.65
2	जि0 का0, शाहजहॉपुर में दिन शौचालयों का निर्माण	05	31.71	25.80	5.91
	योग-	12	रू0 74.48	रू0 61.92	रू0 12.56

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक कर लिया जाय।

(6) कार्यपूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

2- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 12.03.2013 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 29.01.2015 में उलिलखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति स्वच्छता में सुधार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 52/2015/182(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प0, इलाहाबाद।

(3) प्रबंध निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, वाराणसी/शाहजहॉपुर।

(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in